सत्यमेव जयते

कोयला मंत्रालय

कार्य पूर्ण होने की स्थिति कोयला मंत्रालय का कार्यसूची 2021-22

25 मई, 2022

कार्यसूची वित्तीय वर्ष –22 एक नज़र में

I. कोयला क्षेत्र में सुधार

1. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए परियोजनाएं
2. झरिया मास्टर प्लान
3. नियामक सुधार (अन्वेषण)
4. कोयला लाभकारी
5. कोयला खानों में सुरक्षा
6. कोकिंग कोल कार्यनीति
7. विपणन सुधार
8. कोयला मूल्य निर्धारण सुधार
9. भूमि अधिग्रहण में सुधार
10. सौर ऊर्जा परियोजनाएं
11. कोयला प्रेषण और भंडारण
12. पड़ोसी देशों में कोयले का निर्यात
13. नीलामी के माध्यम से आवंटित खानों के कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने की कार्यनीति

II कोयला पारगमन और संधारणीयता

1. कोयला पारगमन के सामाजिक पहलू
2. कोयला रहित भूमि का मुद्रीकरण
3. डाटा खनन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) / ड्रोन का उपयोग
4. संधारणीयता (निवल शून्य उत्सर्जन)

III संस्था भवन

1. कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ), कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) में सुधार
2. कोयला परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन
3. स्टाफ की गुणवत्ता और प्रशिक्षण के मुद्दे

IV भावी कार्यसूची

1. कोयला से रसायन: सिन गैस, हाइड्रोजन गैस, तरल ईंधन, रसायन और उर्वरक
2. सीआईएल – अपने व्यवसाय में विविधता लाना और सनराइज़ उद्योगों, इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉड्स, ईवी आदि में संभावनाओं का पता लगाना। उचित उद्यम के बाद समान या नए व्यवसाय का अधिग्रहण और विलय
3. मजबूत मीडिया अभियान
4. सीएसआर गतिविधियों की करीबी निगरानी

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	कार्यसूची मदें	दायित्व सौंपे जाने वाले अधिकारी	पृष्ठ सं.
I	कोयला क्षेत्र में सुधार		4-10
1	वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए परियोजनाएं	अपर सचिव (एमएन)	4
2	झरिया मास्टर प्लान	परियोजना सलाहकार	5
3	नियामक सुधार (अन्वेषण)	परियोजना सलाहकार	6
4	कोयला लाभकारी	एएस (एमएन)	6
5	कोयला खानों में सुरक्षा	परियोजना सलाहकार	6
6	कोर्किंग कोल कार्यनीति	एएस (एमएन)	7
7	विपणन सुधार	संयुक्त सचिव (सीपीडी)	7
8	कोयला मूल्य निर्धारण सुधार	संयुक्त सचिव (स्था.)	7
9	भूमि अधिग्रहण में सुधार	एएस (एमएन)	8
10	सौर ऊर्जा परियोजनाएं	परियोजना सलाहकार	8
1 1	कोयला प्रेषण और भंडारण	संयुक्त सचिव (सीपीडी)	9
12	पड़ोसी देशों में कोयले का निर्यात	संयुक्त सचिव (सीपीडी)	9
13	नीलामी के माध्यम से आवंटित खानों के कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने की कार्यनीति	एएस (एमएन)	10
II	कोयला पारगमन और संधारणीयता		11-13
1	कोयला पारगमन के सामाजिक पहलू	संयुक्त सचिव (पी एंड एस)	11
2	डी-कोल्ड भूमि का मुद्रीकरण	संयुक्त सचिव (स्था.)	11
3	डाटा खनन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) / ड्रोन का उपयोग	सलाहकार (पी)	12
4	संधारणीयता (निवल शून्य उत्सर्जन)	संयुक्त सचिव (पी एंड एस)	13

III	**संस्था भवन**		**14-15**
1	कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ), कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) में सुधार	संयुक्त सचिव (स्था.), उप महानिदेशक एवं ईए के साथ एएस (कोयला)	14
2	कोयला परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन	संयुक्त सचिव (सीपीडी)	15
3	स्टाफ की गुणवत्ता और प्रशिक्षण के मुद्दे	संयुक्त सचिव (स्था.)	15
IV	**भावी कार्यसूची**		**16-18**
1	कोयला से रसायन: सिन गैस, हाइड्रोजन गैस, तरल ईंधन, रसायन और उर्वरक	सलाहकार (पी)	17
2	सीआईएल - अपने व्यवसाय में विविधता लाना और सनराइज़ उद्योगों, इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉड्स, ईवी आदि में संभावनाओं का पता लगाना। उचित उद्यम के बाद समान या नए व्यवसाय का अधिग्रहण और विलय	ईए	17
3	मजबूत मीडिया अभियान	संयुक्त सचिव (पी एंड एस)	17
4	सीएसआर गतिविधियों की करीबी निगरानी	ईए	18
	अनुबंध- I (कोयला प्रेषण और भंडारण)		19
	अनुबंध- II (कोयला पारगमन के सामाजिक पहलू)		20
	अनुबंध- III (वित्त वर्ष 2021-22 और उसके बाद की संपत्ति मुद्रीकरण योजना की उपलब्धि का विवरण)		22
	अनुबंध IV (कोयला क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी रोडमैप)		24
	अनुबंध- V (संधारणीयता (निवल शून्य उत्सर्जन))		25
	अनुबंध- VI (बैठक का कार्यवृत्त, सीसीओ)		28
	अनुबंध- VII (कोयला से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोडमैप)		31
	अनुबंध- VIII (सीएसआर गतिविधियों की करीबी निगरानी)		32

I: कोयला क्षेत्र में सुधार

1. वित्त वर्ष 21-22 के लिए सीआईएल द्वारा 1 बीटी उत्पादन के लिए परियोजनाएं जिनमें एफएमसी द्वारा निकासी शामिल है

1.1. **एफएमसी परियोजनाएं**- 39 परियोजनाएं

संबंधित अनुभाग/अधिकारी - सीपीआईएएम/एएस (एमएन)

कार्य पूर्ण होने की स्थिति

सचिव (कोयला) ने एफएमसी परियोजनाओं के लाभ और ऐसी परियोजनाओं की आवश्यकता पर अध्ययन करने और इसे चर्चा के लिए रखने के निर्देश दिए

(सीपीआईएएम अनुभाग के सचिव (कोयला) द्वारा 01.02.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत)

अध्ययन की स्थिति - प्रक्रियाधीन

एफएमसी परियोजनाओं की स्थिति-

सीआईएल -

पहला चरण - पहले चरण में 35 एफएमसी परियोजनाओं में से, 06 एफएमसी परियोजनाएं चालू कर दी गई हैं और शेष कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

दूसरा चरण- पहले चरण में 09 एफएमसी परियोजनाओं में से सभी परियोजनाएं निविदा के विभिन्न चरणों में हैं।

एससीसीएल -

पहला चरण – चरण– I में 03 एफएमसी परियोजनाओं में से 01 एफएमसी परियोजना शुरू की जा चुकी है और शेष 02 कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

दूसरा चरण- एक परियोजना प्रक्रियाधीन है।

एनएलसीआईएल - 03 एफएमसी परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं।

1.2. खनन परियोजनाएं – 54 परियोजनाएं

1 बीटी उत्पादन लक्ष्य - सचिव (कोयला) ने इस मामले में सीआईएल, एससीसीएल और एनएलसीआईएल के साथ बैठक करने का निर्देश दिया।

(सीपीआईएएम अनुभाग के सचिव (कोयला) द्वारा 01.02.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त)

सचिव (कोयला) ने 07.02.2022 को एक बैठक बुलाई।

इन 54 खानों में से 34 खानों में उत्पादन हो रहा है।

2. **झरिया मास्टर प्लान** (27 अग्नि स्थल)

2.1. *आर्थिक रूप से व्यवहार्य 15 स्थल*
2.2. *आर्थिक रूप से अव्यवहार्य 12 स्थल*

संबंधित अनुभाग/अधिकारी – एमपीएस/सलाहकार (पी)

कार्य पूर्ण होने की स्थिति

सचिव (कोयला) ने मुख्य सचिव, झारखंड को झरिया मास्टर प्लान पर मसौदा रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी देने के लिए अनुस्मारक जारी करने का निर्देश दिया।

*(एमपीएस अनुभाग के सचिव (कोयला) द्वारा **02.02.2022** को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त)*

झरिया मास्टर प्लान की समीक्षा के लिए सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई समिति की सिफारिशों के अनुसार की जाएगी।

3. नियामक सुधार (अन्वेषण)

संबंधित अनुभाग/अधिकारी- सीसीटी/सलाहकार (पी)

कार्य पूर्ण होने की स्थिति

प्रक्रिया के तहत/अंतिम रूप देना

4. कोयला लाभकारी

संबंधित अनुभाग/अधिकारी- सीपीआईएएम/एएस (एमएन)

कार्य पूर्ण होने की स्थिति

16.3.2020 तक, **03** वाशरी **(**मधुबंद वाशरी, पाथेरडीह-**II** वाशरी और भोजुडीह वाशरी**)** निर्माणाधीन थी और **01.02.2022** तक, इन सभी **03** वाशरिज को अभी चालू किया जाना है। सचिव, कोयला ने अध्यक्ष/सीआईएल को अप्रसन्नता जारी करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा, **16.03.2020** को हुई बैठक में यह भी देखा गया कि आईबी वैली नॉन-कोकिंग कोल वाशरी जो निर्माणाधीन है, मई **2020** के बजाय जुलाई **2020** तक विलंबित होगी। हालाँकि, इस वाशरी को अभी चालू किया जाना है। अतः सचिव **(**कोयला**)** सीएमडी/एमसीएल को आईबी वैली नॉन-कोकिंग कोल वाशरी का निर्माण करने वाले ठेकेदार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं।

*(सीपीआईएएम अनुभाग के सचिव (कोयला) द्वारा **01.02.2022** को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त)*

इस मामले को समाप्त कर दिया गया है।

5. कोयला खानों में सुरक्षा

संबंधित अनुभाग/अधिकारी- एमपीएस/सलाहकार (पी)

कार्य पूर्ण होने की स्थिति

सचिव (कोयला) ने एनएलसीआईएल को एनजीटी के निर्देश पर गठित समिति की सभी सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया।

*(एमपीएस अनुभाग के सचिव (कोयला) द्वारा **02.02.2022** को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त)*

दिनांक 15.03.2022 को एनएलसीआईएल के साथ सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। एनएलसीआईएल को एनजीटी के निर्देश पर गठित समिति की सभी सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया गया था।

6. कोर्किंग कोल कार्यनीति

संबंधित अनुभाग/अधिकारी- सीपीआईएएम / एएस (एमएन)

कार्य पूर्ण होने की स्थिति

कोकिंग कोल मिशन पहले ही शुरू किया जा चुका है। इस मिशन को क्रियान्वित करने के लिए दिनांक 08.02.2022 को सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में बैठक हुई। सचिव, इस्पात मंत्रालय ने 23.03.2022 को इस मुद्दे पर एक बैठक की थी। एएस (एमएन) ने भी इस मुद्दे पर 12.4.2022 को बैठक की।

7. विपणन सुधार

संबंधित अनुभाग/अधिकारी- सीपीडी/जेएस (सीपीडी)

कार्य पूर्ण होने की स्थिति

क्रिसिल रिस्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस लिमिटेड (क्रिसिल) को कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज की स्थापना की प्रक्रिया में कोयला मंत्रालय की सहायता के लिए कार्यनीतिक और कार्यान्वयन प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। देश में कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज की स्थापना से ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोयला बाजार खुल जाएगा और बाजार में कोयले की आसानी से उपलब्धता हो जाएगी।

8. कोयला मूल्य निर्धारण में सुधार

संबंधित अनुभाग/अधिकारी- सीए/जेएस (स्था.)

कार्य पूर्ण होने की स्थिति

सीआईएल 50-100 जीसीवी के उदारता प्रावधान के साथ कोयला ग्रेड के पुनर्गठन का पता लगाएगी और अध्ययन प्रस्तुत करेगी। सीआईएल ने यह कहते हुए अपना अध्ययन प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त प्रावधान उनके लिए वित्तीय रूप से लाभकारी नहीं है। सीआईएल को उन वर्षों की संख्या बढ़ाकर अध्ययन फिर से करने के लिए कहा गया, जिनके लिए डेटा का विश्लेषण किया गया है। सीआईएल ने आधार वर्ष को बढ़ाकर दो साल यानी 2019-20 और 2020-21 कर अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की। इस विश्लेषण में भी, सीआईएल ग्रेड अपग्रेडेशन या स्लिपेज के मामले में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं होने के साथ उदारता के प्रावधान के विकल्प से राजस्व हानि उठा रहा है। इसलिए, मूल्य निर्धारण के उद्देश्य से कोयला ग्रेडों में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

9. भूमि अधिग्रहण में सुधार

संबंधित अनुभाग/अधिकारी- एलए एंड आईआर / एएस (एमएन)

कार्य पूर्ण होने की स्थिति

"कोयला क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत कोयला और अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास और स्थापना के उद्देश्य से अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीति का अनुमोदन" पर मसौदा मंत्रिमंडल टिप्पणी वर्तमान में मंत्रिमंडल सचिवालय/पीएमओ के पास लंबित है।

(एलए एंड आईआर अनुभाग के सचिव (कोयला) द्वारा 03.02.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त)

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 13 अप्रैल, 2022 को मसौदा मंत्रिमंडल टिप्पणी को मंजूरी दे दी गई है। कोयला मंत्रालय ने 22 अप्रैल, 2022 को कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

10. सौर ऊर्जा परियोजनाएं

संबंधित अनुभाग /अधिकारी- सीपीआईएएम / एएस (एमएन)

कार्य पूर्ण होने की स्थिति

सचिव (कोयला) ने सीआईएल/एससीसीएल/एनएलसीआईएल को कोयला मंत्रालय को अपनी कार्यनीति साझा करने का निर्देश दिया।

(सीपीआईएएम अनुभाग के सचिव (कोयला) द्वारा 01.02.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त)

दिनांक 27.01.2022 को सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मुद्दे की समीक्षा की गई। सीआईएल/एससीसीएल/एनएलसीआईएल के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

11. कोयला प्रेषण और भंडारण

संबंधित अनुभाग/अधिकारी- सीपीडी/जेएस(सीपीडी)

कार्य पूर्ण होने की स्थिति

मौजूदा नीलामी योजनाओं के बजाय एकल खिड़की पद्धति एगनोस्टिक नीलामी को लागू किया जाएगा। पद्धति एगनोस्टिक नीलामी के तौर-तरीके वर्तमान में सीआईएल में तैयार किए जा रहे हैं। मांग-आपूर्ति परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त संदर्भित कोयला मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के संबंध में उपयुक्त प्रावधान इसमें शामिल किए जाएंगे।

(सीपीडी अनुभाग के सचिव (कोयला) द्वारा 27.01.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त)
विवरण **अनुबंध I** में **(पृष्ठ 19)**

12. पड़ोसी देशों में कोयले का निर्यात

संबंधित अनुभाग/अधिकारी- सीपीडी/जेएस(सीपीडी)

कार्य पूर्ण होने की स्थिति

सचिव (कोयला) ने सुझाव दिया कि सीआईएल की सहायक कंपनियों से संबंधित मुद्दों को अलग से उठाया जा सकता है और एक बैठक निर्धारित की जा सकती है।

(सीपीडी अनुभाग के सचिव (कोयला) द्वारा 27.01.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त)

कोयला मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार के नीतिगत दिशानिर्देशों और वैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए, कोयला निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए स्पॉट/स्पेशल स्पॉट योजनाओं को सक्षम किया गया था। इसने इच्छुक बोलीदाताओं को भारत के भीतर बिक्री के अलावा कोयले का निर्यात करने का विकल्प प्रदान किया है।

कोयला मंत्रालय के हालिया निर्देशों के अनुसार, वर्तमान नीलामी योजनाओं के बजाय एकल खिड़की पद्धति एगनोस्टिक नीलामी को लागू किया जाना है। पद्धति एगनोस्टिक नीलामी के तौर-तरीके वर्तमान में सीआईएल में तैयार किए जा रहे हैं। मांग-आपूर्ति परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त संदर्भित कोयला मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के संबंध में उपयुक्त प्रावधान इसमें शामिल किए जाएंगे।

13. नीलामी के माध्यम से आवंटित खानों के कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने की कार्यनीति

संबंधित अनुभाग /अधिकारी- एनए /एएस (एमएन)

<u>कार्य पूर्ण होने की स्थिति</u>

नामित प्राधिकारी द्वारा आवंटित कोयला खानों के विकास की निगरानी के लिए, सचिव (कोयला) को अवगत कराया गया कि नामित प्राधिकारी द्वारा कोयला ब्लॉकों के आवंटियों के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 06.01.2022 को हुई पिछली बैठक के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। कैप्टिव कोयला खानों और सीआईएल/एससीसीएल खानों से संबंधित ईसी/एफसी मुद्दों में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों के बीच समय-समय पर बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

एएस एंड एनए कोयला खानों के संचालन में उनके सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कोयला खानों के सभी आवंटियों के साथ कोलकाता में एक सम्मेलन करेंगे।

<u>(एनए अनुभाग के सचिव (कोयला) द्वारा 04.02.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त)</u>

सचिव (कोयला) ने 11.04.2022 को दिल्ली में कोयला खानों के संचालन में उनके सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कोयला खानों के आवंटियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।

II: कोयला पारगमन और संधारणीयता

1. कोयला पारगमन के सामाजिक पहलू

संबंधित अनुभाग/अधिकारी- एसडीसी / जेएस (पी एंड एस)

कार्य पूर्ण होने की स्थिति

एमपीएस अनुभाग द्वारा खान बंद करने के दिशा-निर्देशों में निहित मौजूदा प्रावधानों पर एक प्रस्तुति दी जानी चाहिए और सभी कोयला/लिग्नाइट खानों पर लागू कोयला खानों के संधारणीयता पहलू को शामिल करने के लिए इसे कैसे संशोधित किया जा सकता है।

(एसडीसी अनुभाग के सचिव (कोयला) द्वारा 10.02.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त)

सचिव (कोयला) के उक्त निर्देश के बारे में एमपीएस अनुभाग को दिनांक 21.02.2022 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था।

एमपीएस अनुभाग ने मौजूदा खान बंद करने के दिशा-निर्देशों पर एक प्रस्तुति दी थी और कोयला कंपनियों और एमओसी/सीसीओ के अधिकारियों के साथ मौजूदा दिशानिर्देशों में संभावित संशोधनों के बारे में चर्चा की थी।

एमपीएस अनुभाग भाग लेने वाले सदस्यों द्वारा बैठक के दौरान दिए गए सुझावों के आधार पर संशोधित खान बंद करने के दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार करेगा।

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार विभिन्न गतिविधियों और समय-सीमा की प्रगति की स्थिति अनुबंध-II (पृष्ठ 20-21) पर है।

2. डी-कोल्ड भूमि का मुद्रीकरण

संबंधित अनुभाग/अधिकारी- सीए/जेएस (स्था.)

कार्य पूर्ण होने की स्थिति

डी-कोल्ड भूमि के मुद्रीकरण के मुद्दे पर आर्थिक सलाहकार (ईए) ने बताया कि एक नोट तैयार किया गया है। हालांकि, इस मामले में आगे की कार्रवाई के संबंध में इस मुद्दे पर कोई स्पष्टता नहीं है। सचिव (कोयला) ने निर्देश दिया कि यह मामला सीए अनुभाग में किया जाना है। सचिव (कोयला) ने आगे सुझाव दिया कि डी-कोल्ड भूमि का उपयोग टाउनशिप विकसित करने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए सीआईएल को उनके पास उपलब्ध भूमि के टुकड़ों का आकार उपलब्ध कराना है। ऐसे पैच पर अचल संपत्ति भूमि विकास की संभावना तलाशी जानी चाहिए।

(ईए अनुभाग के सचिव (कोयला) द्वारा 31.01.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त)

कुल संपत्ति मुद्रीकरण योजना के लिए 3394 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले, कोयला मंत्रालय (अपने सीपीएसई के साथ) ने मुद्रीकरण के रूप में 11104.64 करोड़ रुपये (कोयला ब्लॉक आवंटन को छोड़कर) प्राप्त किए हैं। विवरण **अनुबंध-III में हैं (पृष्ठ 22-23)**।

एलए एंड आईआर अनुभाग ने कोयला क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 [सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957] के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग पर नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए हैं। सीआईएल 22.04.2022 को जारी सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार कोयला संबंधित बुनियादी ढांचे और अन्य विकास गतिविधियों को स्थापित करने की योजना तैयार करेगा।

3. डाटा माइनिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) / ड्रोन का उपयोग

संबंधित अनुभाग/अधिकारी – एमपीएस/सलाहकार (पी)

कार्य पूर्ण होने की स्थिति

सचिव (कोयला) ने कोयला खनन क्षेत्र में ड्रोन द्वारा किए जा सकने वाले विभिन्न कार्यों पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का निर्देश दिया। सीआईएल ड्रोन के इस्तेमाल पर लघु फिल्में तैयार करेगी। *(एमपीएस अनुभाग के सचिव (कोयला) द्वारा 02.02.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त)*

माननीय **केंद्रीय** कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी और कोयला, खान और रेल राज्य मंत्री, श्री रावसाहेब पाटील दानवे ने मुंबई में 'कोयला गैसीकरण - आगे का रास्ता' पर निवेशक बैठक में 06.05.2022 को कोयला मंत्रालय द्वारा तैयार **"कोयला क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी रोडमैप" का शुभारंभ किया (अनुबंध- IV पृष्ठ 24)**।

इस प्रौद्योगिकी रोडमैप से नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और लागू करने और सुरक्षा तथा उत्पादकता, पर्यावरण संरक्षण, उत्पादकता बढ़ाने, कोयले की वसूली में सुधार और लागत को कम करने सहित कार्य वातावरण, खनन कार्यों में वृद्धि होगी। प्रौद्योगिकी रोडमैप को कोयला कंपनियों के लिए नई तकनीकों को अपनाने और खानों के लिए वर्तमान और भविष्य के रैंप-अप का समर्थन करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए बेंचमार्क दस्तावेज़ के रूप में लिया जाएगा।

4. संधारणीयता (निवल शून्य उत्सर्जन)

संबंधित अनुभाग /अधिकारी- एसडीसी /जेएस (पी एंड एस)

कार्य पूर्ण होने की स्थिति

विभिन्न खानों में खनन के वर्तमान और अनुमानित कार्बन फुटप्रिंट का **आकलन करने के बाद 31 मई, 2022 तक सभी कोयला /लिग्नाइट सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा निवल शून्य कार्बन कार्यसूची दी जाएगी और इससे कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए योजना बनाई जाएगी।**

(सीपीआईएएम अनुभाग के सचिव (कोयला) द्वारा 10.02.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त)

सीएमपीडीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सीआईएल में जीएचजी उत्सर्जन के विस्तृत अनुमान के साथ एक रिपोर्ट तैयार की है और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए कार्यनीति का भी सुझाव दिया है।

कोयला /लिग्नाइट पीएसयू द्वारा निवल शून्य कार्यसूची तैयार करना।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कार्बन तटस्थता रोडमैप तैयार करेंगे और उस वर्ष को तय करेंगे जिसमें वे कार्बन तटस्थ हो जाएंगे।

31.03.2022 को स्थिति **अनुबंध-V पर है (पृष्ठ 25)**

III: संस्था भवन

1. कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ), कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) में सुधार

संबंधित अनुभाग / अधिकारी- स्था, संयुक्त सचिव (स्था.) / और सीएमपीएफ

<u>कार्य पूर्ण होने की स्थिति</u>

सीसीओ का सुदृढ़ीकरण: निम्नलिखित के संदर्भ में सीसीओ की समीक्षा की जाएगी:

(क) सीसीओ के फील्ड कार्यालयों की स्टाफिंग, गतिविधियां और प्रदर्शन - इस संबंध में कोयला नियंत्रक द्वारा एक प्रस्तुति तैयार की जाएगी।

(ख) सीसीओ के तकनीकी मामले - सीसीओ से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर एक प्रस्तुति, जिसे सलाहकार (पी) द्वारा तैयार किया जाएगा।

समन्वय अनुभाग द्वारा सलाहकार (पी) और डीडीजी की संयुक्त प्रस्तुति आयोजित की जाएगी।

<u>(स्थापना अनुभाग के सचिव (कोयला) द्वारा 03.02.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त)</u>

कोयला नियंत्रक संगठन के सुदृढ़ीकरण पर एएन सहाय समिति की रिपोर्ट को मंत्रालय में स्वीकार कर लिया गया है। समिति की सिफारिशों तक पहुंचने के लिए एएस (कोयला) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। सीसीओ को सीसीओ को मजबूत करने के लिए अपना अंतिम प्रस्ताव संशोधित करने और प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। सीसीओ की रिपोर्ट आईएफडी के पास जमा की जा रही है। जिसके बाद सीसीओ के प्रस्तावित पुनर्गठन के लिए उनकी मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

सीसीओ ने 17 फरवरी, 2022 को तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों मुद्दों पर सचिव (कोयला) और वरिष्ठ अधिकारियों को एक विस्तृत प्रस्तुति दी। बैठक का कार्यवृत्त **अनुबंध-VI (पृष्ठ 28-30) पर है।**

कोयला नियंत्रक संगठन, कोलकाता

सीएमपीएफओ

2. कोयला परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन

संबंधित अनुभाग /अधिकारी- सीपीडी /जेएस (सीपीडी)

<u>कार्य पूर्ण होने की स्थिति</u>

सीआईएल अपनी सभी प्रयोगशालाओं को एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में अपग्रेड करेगी। सीआईएल उपयुक्त मंच पर तृतीय पक्ष नमूनाकरण एजेंसियों के एनएबीएल प्रत्यायन के कार्यान्वयन के लिए भी कार्रवाई करेगी।

इसके अनुसरण में, कोल इंडिया की सहायक कंपनियों की 58 प्रयोगशालाओं में से कुल 56 (छप्पन) को एनएबीएल प्रत्यायित किया गया है और शेष 2 (दो) प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन प्रक्रियाधीन है।

सभी तृतीय-पक्ष नमूना एजेंसियों की सभी प्रयोगशालाएं (स्वयं/किराए पर) एनएबीएल मान्यता प्राप्त हैं। 9 रेफरी प्रयोगशालाओं में से, 7 एनएबीएल मान्यता प्राप्त हैं, शेष 2 का पालन सीएसआईआर-सीआईएमएफआर धनबाद द्वारा किया जा रहा है।

3. स्टाफ की गुणवत्ता और प्रशिक्षण के मुद्दे

संबंधित अनुभाग /अधिकारी- सीपीडी /जेएस (सीपीडी)

<u>कार्य पूर्ण होने की स्थिति</u>

कोयला क्षेत्र में गतिविधियों में विस्तार के बावजूद, मंत्रालय की जनशक्ति की समीक्षा नहीं की गई है। कोयला मंत्रालय में कुछ विशिष्ट अनुभागों के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई। एएस (कोयला) की अध्यक्षता वाली एक समिति पहले से ही कोयला मंत्रालय में अनुभागों के पुनर्गठन पर विचार कर रही है। इस समिति को मंत्रालय में सभी अनुभागों के कार्य आवंटन और जनशक्ति आवश्यकताओं की समीक्षा करनी चाहिए और तदनुसार अतिरिक्त जनशक्ति के प्रस्ताव पर कार्रवाई करनी चाहिए। समन्वय अनुभाग द्वारा समिति के साथ इस मामले को उठाया जाएगा।

<u>(स्थापना अनुभाग के सचिव (कोयला) द्वारा 03.02.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त)</u>

कोयला मंत्रालय के नए फोकस क्षेत्रों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए नए डिवीजनों/अनुभागों के निर्माण के लिए एएस (कोयला) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। प्रारंभिक चर्चा और मानदंड निर्धारित करने के लिए समिति ने 15 फरवरी, 2022 को अपनी पहली बैठक आयोजित की। समिति का फोकस कोयला मंत्रालय की भूमिका और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा डिवीजनों के बीच अस्पष्टता और काम के दोहराव को दूर करना, संबंधित डिवीजनों का विलय करना और नए डिवीजनों, यदि कोई हो, का निर्माण करना था।

13-5-2022 को जस्ट ट्रांजिशन डिवीजन और मीडिया सेल बनाया गया है।

IV: भावी कार्यसूची

1. कोयला से रसायन: सिन गैस, हाइड्रोजन गैस, तरल ईंधन, रसायन और उर्वरक

संबंधित अनुभाग/अधिकारी- सीसीटी/सलाहकार (पी)

<u>कार्य पूर्ण होने की स्थिति</u>

सीआईएल इन परियोजनाओं पर उन मेट्रो शहरों में रोड शो आयोजित करेगी जहां इन परियोजनाओं के लिए संभावित निवेशकों की संभावनाएं हैं। एनएलसीआईएल अपनी लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना पर प्रस्तुति देगी।

<u>(सीसीटी अनुभाग के सचिव (कोयला) द्वारा 02.02.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त)</u>

कोल इंडिया और फिक्की द्वारा 06.05.2022 को मुंबई में **'कोयला गैसीकरण - आगे का रास्ता'** पर निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया। निवेशक बैठक-सह-कार्यशाला का उद्देश्य कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना और इस क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करना है।

कार्यक्रम के दौरान माननीय केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री श्री **<u>प्रल्हाद</u> जोशी और कोयला, खान और रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटील दानवे ने** कोयला मंत्रालय द्वारा तैयार एक रिपोर्ट 'कोयला से हाइड्रोजन के लिए रोडमैप' का शुभारंभ किया (**अनुबंध–VII पृष्ठ 31**)।

2. सीआईएल - अपने व्यवसाय में विविधता लाना और सनराइज़ उद्योगों, इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉड्स, ईवी आदि में संभावनाओं का पता लगाना। उचित उद्यम के बाद समान या नए व्यवसाय का अधिग्रहण और विलय

संबंधित अनुभाग/अधिकारी- ईए

कार्य पूर्ण होने की स्थिति

सीआईएल के विविधीकरण की व्यवस्था भी ईए डिवीजन द्वारा की जानी है।

(ईए अनुभाग के सचिव (कोयला) द्वारा 31.01.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त)

डेलॉइट ने ईवी और गैर-ईंधन खनिजों पर पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है और सीआईएल को प्रस्तुत की है।

3. मजबूत मीडिया अभियान

संबंधित अनुभाग / अधिकारी- समन्वय / संयुक्त सचिव (पी एंड एस)

कार्य पूर्ण होने की स्थिति

एनएलसीआईएल, एससीसीएल, सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के साथ सात बैठकें की गईं। प्रारूप मीडिया अभियान तैयार किया गया, हालांकि, मीडिया **कार्यनीति** को कवर करने वाले कुछ अन्य बिंदु जैसे कि लघु फिल्मों में दृश्य मीडिया को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

आत्मनिर्भर भारत पर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का वीडियो
https://www.facebook.com/south Easterncoalfields/videos/1193197701175756

4. सीएसआर गतिविधियों की निकटतम निगरानी

संबंधित अनुभाग / अधिकारी- सीएसआरएंडडब्ल्यू/ईए

कार्य पूरा होने की स्थिति

सीएसआर फंडिंग का एक बड़ा भाग निम्नलिखित क्षेत्रों में खर्च किया गया है:

- **क.** स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और स्वच्छता
- **ख.** शिक्षा और आजीविका
- **ग.** ग्रामीण विकास
- **घ.** पर्यावरणीय स्थिरता
- **ङ.** खेलों को बढ़ावा
- **च.** आपदा प्रबंधन और राहत

विवरण अनुबंध-VIII में (पृष्ठ 32) दिया गया है।

अनुबंध- I

कोयला प्रेषण और भंडारण

वार्षिक कार्य योजना लक्ष्य 2021-22 के लिए विद्युत आपूर्ति

(मि. ट. में)

कोयला कंपनी का नाम	विद्युत लक्ष्य 2021-22	आपूर्ति
ईसीएल	42.00	29.86
बीसीसीएल	21.40	26.67
सीसीएल	61.50	59.15
एनसीएल	104.00	110.63
डब्ल्यूसीएल	52.00	57.23
एसईसीएल	141.00	129.28
एमसीएल	126.10	127.31
कोल इंडिया	548.00	540.14

अनुबंध- II

कोयला पारगमन के सामाजिक पहलू

यह कार्यसूची मद एक वर्तमान कार्यसूची है जो वित्त वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित होगी। तत्काल कार्यसूची मद और भावी समय-सीमा के तहत पहचान की गई विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	गतिविधि	अनंतिम समय-सीमा	31.03.2022 तक की स्थिति	संशोधित समय-सीमा
1.	विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) के परामर्श से पीपीआर को अंतिम रूप देना और उसे डीईए को प्रस्तुत करना	15 जुलाई 2021	पीपीआर समय सीमा के अनुसार प्रस्तुत किया गया था। आईएमसी परामर्श के बाद, डीओई, डीईए, नीति आयोग, खान मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और एमओईएफएंडसीसी, पीपीआर से टिप्पणियों की प्राप्ति को डब्ल्यूबी के परामर्श से संशोधित किया गया है और इसे डीईए पोर्टल पर अपलोड किया गया है।	
2.	डीईए का अनुमोदन	सितम्बर-21	संशोधित पीपीआर पर डीईए द्वारा मांगी गई टिप्पणियां डीओई द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। डीईए ने 25.02.2022 को आयोजित वर्चुअल बैठक में पीपीआर पर चर्चा की। डीईए ने पहले चरण अर्थात् मानचित्रण और डीपीआर तैयार करने के लिए वित्तपोषण सहायता अनुदान हेतु अपने अनुमोदन के बारे में सूचित किया है।	
3.	सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद डब्ल्यूबी के साथ विनियोजन की प्रक्रिया शुरू करना	नवंबर-21	डब्ल्यूबी ने पहले चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 1.15 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान से जुड़ी है।	चालू
4.	बेस लाइन डेटा को कवर करते हुए तकनीकी सहायता रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना, बंद करने के लिए रोडमैप, खान बंद करने से जुड़े सामाजिक पहलुओं सहित खान बंद करने की गतिविधियों के बारे में विवरण और वित्तपोषण व्यवस्था	दिसंबर-22	डब्ल्यूबी ने पहले चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 1.15 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान से जुड़ी है।	

5.	दीर्घकालिक डब्ल्यूबी के समर्थन (दूसरे चरण) के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए डीईए को डीपीआर प्रस्तुत करना	जनवरी-2023		
6.	2 जिलों में प्रायोगिक परियोजनाओं की शुरुआत (दूसरा चरण)	अप्रैल-2023	डीईए के अनुमोदन के अधीन	

अनुबंध- III

वित्तीय वर्ष 2021-22 और उसके बाद की परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना की उपलब्धि का ब्यौरा

1. एमडीओ और कोयला गैसीकरण

3394 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में, कोयला मंत्रालय (इसके सीपीएसई के साथ) ने मुद्रीकरण के रूप में 11104.64 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं (कोयला ब्लॉक आवंटन को छोड़कर)। विवरण निम्नानुसार हैं:

अब तक एमडीओ का मुद्रीकृत मूल्य						
क्र. सं.	परियोजनाएं	परिसंपत्ति का स्थान	कुल परियोजना लागत	सीपीएसई का हिस्सा	प्राइवेट पार्टी का हिस्सा	मुद्रीकृत मूल्य
			हमारे साथ उपलब्ध	हमारे साथ उपलब्ध	हमारे साथ उपलब्ध	
1	सियारमल (एमसीएल भाग)	एमसीएल ओडिशा	8877	5195	3682	3682.00
2	कोतरे बी एंड पी ओसी	झारखंड/सीसीएल	1554	625	929	929
3	चंद्रगुप्त ओसी	झारखंड/सीसीएल	3437.14	973.5	2463.64	2463.64
4	सुभद्रा (एमसीएल भाग)	एमसीएल ओडिशा	3956	1694	2262	2262
5	केतकी यूजी	छत्तीसगढ़ एसईसीएल	387	131	256	256
	कुल		**18211.14**	**8618.5**	**9592.64**	**9592.64**

सीबीएम गैसीकरण परियोजनाएं						
6	सीबीएम झरिया	झारखंड/बीसीसीएल	1880	368	1512	1512
	कुल योग (क)		**20091.14**	**8986.5**	**11104.64**	11104.64

2. कोयला ब्लॉक आवंटन:

वित्त वर्ष 2021-22 तक कुल 42 कोयला ब्लॉकों की नीलामी हुई है, जिसमें से 39 कोयला ब्लॉकों को मुद्रीकरण के लिए लिया गया है, जिसका कुल मूल्य 28,986 करोड़ रुपये है । 39 खानों का मुद्रीकरण मूल्य नीति आयोग द्वारा की गई गणना पर आधारित है ।

इस प्रकार, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कोयला मंत्रालय का कुल मुद्रीकरण लगभग 40,000 करोड़ रु. है।

वित्तीय वर्ष 2023 और उसके बाद के लिए मुद्रीकरण योजना

मुद्रीकृत मूल्य (आंकड़े करोड़ में)				
क्र. सं.	**परियोजनाएं**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	एमडीओ	9,592.64	20,320.00	-
2	वॉशरीज	-	700.00	-
3	सीबीएम	1,512.00	2022-23 से मुद्रीकरण योजना से बाहर रखा गया	
4	कोयला गैसीकरण	-	-	-
5	कोयला ब्लॉक	28,986.00	52,200.00*	
6	बंद की गई खानें	-	2,000.00*	
	कुल	40,090.00	75,220.00	-
	नीति आयोग का लक्ष्य	3,394.00	6,060.00	

***आंकड़े अनंतिम हैं**

<u>अनुबंध- IV</u>

कोयला क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी रोडमैप पर दस्तावेज़ कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मंत्रालय की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं-

https://coal.gov.in/hi/techno-roadmap-coal-sector

अनुबंध- V

संधारणीयता (निवल शून्य उत्सर्जन)

2.1 धूल दमन प्रौद्योगिकियों को अन्वेषित किया जाना चाहिए

पीएसयू	धूल दमन प्रौद्योगिकीयां - वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्ष्य						
	एफएमसी परियोजनाएं	मिस्ट स्प्रेयर	कैनन (ट्रक)	फॉग कैनन (ट्राली)	व्हील वॉशिंग	मैकेनिकल रोड स्वीपर	सीएएक्यूएमएस
	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
कोल इंडिया	6	17	44	53	16	33	28
एससीसीएल	2	4	-	9	-	2	1 1
एनएलसीआईएल	-	1	-	2	-	0	8
कुल योग	8	22	44	64	16	35	47

पीएसयू	धूल दमन प्रौद्योगिकियां - मार्च 2022 तक उपलब्धि						
	एफएमसी परियोजनाएं	मिस्ट स्प्रेयर	फॉग कैनन (ट्रक)	फॉग कैनन (ट्राली)	व्हील वॉशिंग	मैकेनिकल रोड स्वीपर	सीएएक्यूएमएस
	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
कोल इंडिया	3	20	114		5	5	26
एससीसीएल	1	2	-	34	-	2	1 1
एनएलसीआईएल	-	1	-	1	-	-	2
कुल योग	4	23	149		5	7	39

2.2 एचईएमएम में एलएनजी/इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के उपयोग का अन्वेषण करके कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाएगा और खनन में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए डीजल चालित एचईएमएम में एलएनजी का उपयोग

31.03.2022 तक की स्थिति

- एमसीएल ने एक पायलट परियोजना के रूप में एलएनजी के उपयोग के लिए भरतपुर ओपनकास्ट खान का चयन किया है। दो 100 टन बीईएमएल डंपरों को एलएनजी किट के साथ रेट्रोफिट करने का प्रस्ताव है। मैसर्स कमिंस की सहमति ली गई है। पायलट परियोजना की सहायता और निष्पादन के लिए गेल से संपर्क किया गया है।
- गेल ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और उपकरणों की रेट्रोफिटिंग के लिए एक निविदा जारी की है।

- स्टेकहोल्डरों द्वारा अनुमोदित रेट्रोफिटिंग के लिए ड्राइंग, डिजाइन और कार्यक्रम। रेट्रोफिटिंग प्रक्रिया में है और इसे जून 2022 तक पूरा किया जाना है।
- प्रायोगिक परियोजना को सितंबर 2022 तक पूरा किया जाना है।
- एनसीएल एलएनजी पर काम करने के लिए 100 टन के दो डंपरों को परिवर्तित करके एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने के लिए आईओसीएल के साथ भी चर्चा कर रही है।

ऊर्जा दक्षता उपाय

कोयला/लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विभिन्न ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों को कार्यान्वित कर रहे हैं। वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न नियोजित ऊर्जा दक्षता उपाय निम्नानुसार हैं:

पीएसयू	ऊर्जा दक्षता उपाय - वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लक्ष्य							
	एलईडी लाइट्स का उपयोग	ऊर्जा दक्ष एसी	सुपर फैन	ई-वाहन	दक्ष वॉटर हीटर	पंपों के लिए ऊर्जा दक्ष मोटर्स	स्ट्रीट लाइट में ऑटो-टाइमर	संधारित्र बैंक
	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
कोल इंडिया	92806	1668	36736	183	482	545	1745	65
एससीसीएल	19800	893	11800	-	-	-	-	13
एनएलसीआईएल	4200	20	500	-	-	2	10	20
कुल योग	116806	2581	49036	183	482	547	1755	98

पीएसयू	ऊर्जा दक्षता उपाय – मार्च-2022 तक उपलब्धि							
	एलईडी लाइट्स का उपयोग	ऊर्जा दक्ष एसी	सुपर फैन	दक्ष	कुशल वॉटर हीटर	पंपों के लिए ऊर्जा दक्ष मोटर्स	स्ट्रीट लाइट में ऑटो-टाइमर	संधारित्र बैंक
	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
कोल इंडिया	98364	803	11869	5	254	36	980	22725 केवीएआर
एससीसीएल	34094	840	1683	-	1 1	-	-	22
एनएलसीआईएल	4500	17	200	-	-	0	16	26
कुल योग	136958	1660	13752	5	265	36	996	-

पीएसयू को चालू वित्त वर्ष के लक्ष्य में कमी जोड़ने का निर्देश दिया गया है

2.3 खनन क्षेत्रों में (-5 किलोमीटर के दायरे में) वायु गुणवत्ता की निगरानी की जानी चाहिए।

सतत वायु गुणवत्ता निगरानी - वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्ष्य				
वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र	कोल इंडिया	एससीसीएल	एनएलसीआईएल	कुल
सीएएक्यूएमएस	28	1 1	8	47
ऑनलाइन पीएम 10 विश्लेषक	40	-	-	40

सतत वायु गुणवत्ता निगरानी - मार्च-2022 तक उपलब्धि				
वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र	कोल इंडिया	एससीसीएल	एनएलसीआईएल	कुल
सीएएक्यूएमएस	26	1 1	2	39
ऑनलाइन पीएम 10 विश्लेषक (बीसीसीएल)	68	-	-	68

2.4 निवल कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए रोडमैप तैयार किया जाए

सीएमपीडीआई द्वारा 2020-21 के दौरान कोयला खनन के कारण कार्बन उत्सर्जन का आकलन करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की गई और प्रस्तुत की गई। भविष्य के लिए अनुमानित कोयला उत्पादन के आधार पर कार्बन उत्सर्जन की ऑफसेटिंग के संभावित उपाय भी सुझाए गए हैं।

अनुबंध-VI

कोयला नियंत्रक संगठन की समीक्षा के संबंध में दिनांक 17.02.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

विषय	सीसीओ की समीक्षा बैठक
दिनांक और समय	17 फरवरी, 2022 अपराह्न 4:30 बजे
अध्यक्षता	सचिव (कोयला), कोयला मंत्रालय

कोयला नियंत्रक संगठन से संबंधित मामलों की पुनरीक्षा करने के लिए दिनांक 17 फरवरी, 2022 को सम्मेलन कक्ष, कोयला मंत्रालय में सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-। में दी गई है।

2. प्रारंभ में सचिव (कोयला) ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और उसके बाद कोयला नियंत्रक ने दिनांक 01 अक्तूबर, 2021 को आयोजित पिछली समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की। तत्पश्चात् कार्यसूची पर विचार-विमर्श किया गया और विचार-विमर्श के बाद बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

1. सीसीओ के कार्मिक की स्थिति:

कोयला नियंत्रक ने सूचित किया कि सीसीओ कार्यालय दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया है और सीसीओ कोलकात्ता कार्यालय में 7100 वर्ग फीट स्थान सरेंडर करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी को पत्र पहले ही जारी कर दिया गया है। अतिरिक्त 7000 वर्ग फीट क्षेत्र सरेंडर करने की प्रक्रिया चल रही है और कोलकात्ता स्थित सीसीओ कार्यालय के लिए कुल 16000 वर्ग फीट में से शेष स्थान बनाए रखा जाएगा।

कोयला नियंत्रक ने आगे सूचित किया कि आसनसोल में आरओ सीसीओ को बंद कर दिया गया है और आरओ सीसीओ के कार्मिक का सीसीओ कोलकात्ता के साथ विलय कर दिया गया है।

सचिव (कोयला) सीसीओ की पुर्नसंरचना की प्रगति की स्थिति जानना चाहते थे। सयुंक्त सचिव (स्थापना) ने सूचित किया कि 130 कार्मिकों कि पुर्नसंरचना के प्रस्ताव की जांच आईएफडी, कोयला मंत्रालय में की जा रही है क्योंकि खाली पदों में से अधिकांश पद समाप्त हो गए पदों की श्रेणीं में है। कोयला नियंत्रक ने सूचित किया कि सीसीओ के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्मिकों की कोई मंजूर की गई संख्या नहीं है जिसके लिए तैनात कार्मिक सहायक कोयला कंपनियों से हायर किए गए हैं/मांगे गए हैं। सीसीओ के मंजूर किए गए कार्मिक की संख्या केवल कोलकाता और धनबाद कार्यालयों के लिए है। सचिव ने संबंधित लंबित मुद्दों को प्राथमिकता से सुलझाने और सीसीओ की पुर्नसंरचना को शीघ्र पूरा करने की सलाह दी।

(कार्रवाई: जेएस/एफए, कोयला मंत्रालय तथा सीसीओ)

2. सीसीओ के विनियामक कार्य:

सचिव (कोयला) ने यह पाया कि गैर सांविधिक सीआरए के कार्यचालन से संबंधित मुद्दों को सुलझाया नहीं गया है। यह आवश्यकता महसूस की गई कि सीसीओ के स्तर का गैर-सांविधिक सीआरए में शामिल कर लिया जाए। सचिव (कोयला) ने जेएस/स्थापना को गैर-सांविधिक सीआरए की मौजूदा स्थिति पर पीपीटी तैयार करने का निदेश दिया।

(कार्रवाई:- संयुक्त सचिव (स्थापना, कोयला मंत्रालय)

3. स्टार रेटिंग:-

कोयला नियंत्रक ने सूचित किया कि वर्ष 2019-20 के लिए स्टार रेटिंग्स को तय करने का कार्य सीसीओ द्वारा पूरा कर लिया गया है और यह वित्त वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के लिए भी किया जा रहा है।

अपने कार्यों का अधिक प्रभावी ढंग से निष्पादन करने के लिए और अधिक तकनीकी व्यक्तियों की आवश्यकता है। इस संबंध में, संबंधित विषय में कम से कम 05-10 वर्षों का अनुभव रखने वाले 4 खनन इंजीनियरों (सीआईएल से 2, एसईसीएल से 1 और एनएलसीआईएल से 1) की मांग की गई। कोयला नियंत्रक इस संबंध में एससीसीएल और एनएलसीआईएल को पत्र भेज सकते हैं। इसकी प्रति मंत्रालय को दी जाए। यह भी अनुभव किया गया कि मान्यता प्राप्त खनन योजना निर्माण एजेंसी द्वारा की गई खनन योजना और विशेषज्ञ-पुनरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा।

(कार्रवाई:-कोयला नियंत्रक)

9. एस्क्रो करार:-

कोयला नियंत्रक ने कोयला कंपनियों के साथ एस्क्रो करार पर हस्ताक्षर की स्थिति प्रस्तुत की सचिव (कोयला) ने सुझाव दिया कि आईआईटी/आईआईटी (आईएसएम) को यह आकलित करने के लिए कहा जाए कि खान बंद करने के लिए एस्क्रो खाते में रखी गई निधि खानों को उचित रूप से बंद करने/फिर से चालू करने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। यह भी निदेश दिया गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए इस स्कीम की पुनीक्षा की जाए कि खान बंद करने के लिए इस प्रकार निर्मित निधि खान प्रचालन से दुषप्रभावित क्षेत्र के पूर्ण पुनर्वास के लिए पर्याप्त है।

(कार्रवाई:- संयुक्त सचिव (एफए) कोयला मंत्रालय और कोयला नियंत्रक)।

10. भुगतान आयुक्त:-

कोयला नियंत्रक ने सीओपी की भूमिका और सीओपी के अंर्तगत राशि के रिफंड की मौजूदा स्थिति की व्याख्या की।

(कार्रवाई:- कोयला नियंत्रक)

अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त हुई।

अनुबंध-I

प्रतिभागियों की सूची:-

1. डॉ. अनिल कुमार जैन, सचिव (कोयला), कोयला मंत्रालय, भारत सरकार-अध्यक्ष
2. श्री विनोद कुमार तिवारी, अपर सचिव (कोयला), कोयला मंत्रालय, भारत सरकार
3. श्री एम नागाराजू, अपर सचिव (एनए), कोयला मंत्रालय, भारत सरकार)
4. श्री श्याम भगत नेगी, संयुक्त सचिव (स्थापना और सीए), कोयला मंत्रालय, भारत सरकार
5. श्रीमती निरूपमा कोतरू, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार
6. सुश्री संतोष, कोयला नियंत्रक, भारत सरकार
7. श्रीमती शांता गुहा, उप सहायक कोयला नियंत्रक (प्रशासन), सीसीओ, दिल्ली
8. सीसीओ कोलकाता और दिल्ली के ओएसडी

अनुबंध- VII

कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोड मैप के दस्तावेज कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मंत्रालय की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं-

https://coal.gov.in/en/major-statistics/national-coal-gasification-mission

अनुबंध-VIII

सीएसआर गतिविधियों की निकटतम निगरानी

सीआईएल में सीएसआर गतिविधियां :

सीआईएल की सीएसआर नीति के अनुसार, सीआईएल की सहायक कंपनियों को तत्काल पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 2% या रु. किसी विशेष वर्ष में सीएसआर गतिविधियों के लिए उस सहायक कंपनी के कोयला उत्पादन का प्रति टन 2 रुपए, जो भी अधिक हो, का आवंटन करना होगा। सीआईएल (मुख्यालय) के लिए, उन सहायक कंपनियों का समेकित कोयला उत्पादन, जिन्हें तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निवल घाटा नहीं हुआ है, बाद में होगा। सीएसआर के तहत जो गतिविधियां की जा सकती हैं, वे कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII से धारा 135 के अनुसार हैं। सीएसआर गतिविधियों का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित क्षेत्रों में खर्च किया गया है:

छ. स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और स्वच्छता
ज. शिक्षा और आजीविका
झ. ग्रामीण विकास
ञ. पर्यावरणीय स्थिरता
ट. खेलों को बढ़ावा
ठ. आपदा प्रबंधन और राहत

सरकारी प्राथमिकता और अन्य विषयों में पिछले तीन वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियां:

क. स्वास्थ्य देखभाल:

i. अस्पताल:

- एमसीएल द्वारा 493 करोड़ रुपए की लागत पर तलचर, अंगुल जिला, ओडिशा में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल और 100 सीटों के मेडिकल कॉलेज का निर्माण।
- छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सीआईएमएस), बिलासपुर में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन
- इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज, कोलकाता (आईएन-के) में न्यूरोलॉजी उपचार संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए सहायता

ii. कोविड :

- कोविड-19 राहत पर 269 करोड़ रुपये का खर्च (वित्त वर्ष 2011 के कुल खर्च का 48%)।
- भुवनेश्वर में 1300+ से अधिक बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल
- तलचर, ओडिशा में 150 बिस्तरों वाला समर्पित अस्पताल
- बिलासपुर और अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ में 100 बिस्तरों वाले समर्पित अस्पताल
- कर्नाटक आयुर्विज्ञान संस्थान (केआईएमएस), हुबली में 100 बिस्तरों वाला आईसीयू
- पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मेघालय सरकार को वैक्सीन परिवहन के लिए कोल्ड चेन उपकरण।
- सीआईएल के मिशन प्राणवायु के तहत कुल 31 ऑक्सीजन संयंत्र (जिनमें से 25 सरकारी अस्पतालों में सीएसआर के तहत स्थापित किए जा रहे हैं) स्थापित किए जा रहे हैं ।

ख. शिक्षा और कौशल विकास

- आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले झारखंड के मेधावी छात्रों को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के लिए मुफ्त आवासीय कोचिंग प्रदान करने हेतु सीसीएल के लाल और सीसीएल की लाडली कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2013 से चल रहा है। आईआईटी, एनआईटी आदि जैसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब तक 300 से अधिक छात्रों ने प्रवेश प्राप्त किया है।
- 25 करोड़ रुपये की लागत से धारवाड़ और बागलकोट, कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित जिलों में स्कूलों का पुनर्निर्माण।
- सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी) के माध्यम से प्लास्टिक इंजीनियरिंग ट्रेडर्स में सीआईएल की सहायक कंपनियों के कमान क्षेत्रों में 5,000 बेरोजगार युवाओं (8 वीं - 10 वीं पास) को प्रशिक्षण। 2,000 युवाओं का पहला चरण पूरा हो चुका है और प्रशिक्षुओं ने लगभग प्रति माह 10,000 रु. के शुरुआती वेतन के साथ नौकरी हासिल की है। प्लेसमेंट प्रतिशत 84 फीसदी रहा है।
- लघु धारक पॉल्ट्री परियोजना में मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आदिवासी महिलाओं को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण। यह परियोजना 500 से अधिक परिवारों को प्रति माह 3000 - 3500 रुपये की अतिरिक्त आय उत्पन्न करने में मदद कर रही है।

ग. जल, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण

- 55 करोड़ रुपये की लागत से अंगुल जिले, ओडिशा के तलचर और कनिहा ब्लॉक के 35 गांवों के लिए पाइप्ड जलापूर्ति योजनाएं।
- विभिन्न रेलवे जोन के 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर प्रति ब्लॉक 25 लाख रुपये की लागत से बेहतर स्वच्छता के लिए पूर्वनिर्मित शौचालय ब्लॉकों की स्थापना।
- हरियार छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के तहत 15.56 करोड़ रुपये की लागत से ब्लॉक और सड़क किनारे वृक्षारोपण।

घ. ग्रामीण विकास

- 19 करोड़ रुपये की लागत से सीमावर्ती गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए चमोली जिले, उत्तराखंड में सीमा सड़क निर्माण और संरेखण कार्य।
- सिंगरौली, मध्य प्रदेश में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 17.30 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।
- सीसीडीपी - ग्रामीण परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के उत्थान और कृषि-बागवानी गतिविधियों के माध्यम से उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए ओडिशा में एमसीएल के कमान जिलों में 20 करोड़ रुपये की लागत से उत्थान परियोजना।

ड. खेल को बढ़ावा

- भोपाल, ग्वालियर और बैंगलोर में खेल के बुनियादी ढांचे के बेहतर उपयोग के लिए 3 छात्रावासों के निर्माण हेतु राष्ट्रीय खेल विकास निधि को 75 करोड़ रुपये का योगदान।
- बुरला, संबलपुर, ओडिशा में 25 करोड़ रु. की लागत से खेल परिसर का निर्माण।
- झारखंड की नवोदित खेल प्रतिभाओं को राष्ट्र के लिए संभावित पदक विजेता बनाने के लिए पहचान दिलाना और आवासीय प्रशिक्षण के लिए होटवार, रांची में खेल अकादमी चलाना।

च. आपदा प्रबंधन

- वर्ष 2019 में चक्रवात फनी के कारण क्षतिग्रस्त विद्युत पारेषण लाइनों के पुनर्निर्माण के लिए ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओपीटीसीएल) को 50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।
- 15.60 करोड़ रुपये की लागत से भारत के एकमात्र नदी द्वीप जिला माजुली, असम में बाढ़ प्रभावित लोगों का पुनर्वास और आजीविका विकास।
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों/महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को 90 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता।
- पीएम–केयर्स फंड में 222.25 करोड़ रुपये का योगदान (जिसमें से 101.25 करोड़ रुपये सीएसआर से)।

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के लिए सीएसआर व्यय निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**सीएसआर सांविधिक आवश्यकता (करोड़ रु.)**	**सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये)**
2018-19	353.98	416.47
2019-20	396.20	587.84
2020-21	434.51	553.85
2021-22 (अप्रैल-मार्च)	450.63	507.18*

*आंकड़े अनंतिम हैं और लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

पिछले तीन वर्षों (2018-19-2020-21) के दौरान गतिविधि–वार व्यय:

सहायक कंपनी	**स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और स्वच्छता (करोड़ रु.)**	**शिक्षा और आजीविका (करोड़ रु.)**	**ग्रामीण विकास (करोड़ रु.)**	**पर्यावरणीय संधारणीयता (करोड़ रु.)**	**खेल को बढ़ावा**	**आपदा प्रबंधन और राहत (करोड़ रु.)**	**अन्य (करोड़ रु.)**	**कुल (करोड़ रु.)**
ईसीएल	10.16	15.90	9.24	3.58	0.17	0.09	0.36	39.50
बीसीसीएल	7.02	4.64	1.58	0.27	0.00	0.00	0.05	13.56
सीसीएल	83.61	9.41	4.97	3.08	27.84	0.00	21.72	150.63
डब्ल्यूसीएल	8.87	5.15	4.00	0.90	0.44	0.10	0.33	19.79
एसईसीएल	156.92	13.34	11.12	17.99	0.09	0.00	7.07	206.53
एनसीएल	62.18	116.05	73.72	10.58	3.43	20.00	0.87	286.83
एमसीएल	270.03	160.14	60.55	17.63	16.64	3.29	9.72	538.00
सीएमपीडीआई	4.46	3.86	0.38	0.21	0.00	0.00	0.40	9.31
कोल इंडिया	181.34	31.52	27.07	1.10	0.36	50.80	1.82	294.01
कुल	**784.59**	**360.01**	**192.63**	**55.34**	**48.97**	**74.28**	**42.34**	**1558.16**

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विषय-वार आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 21-22 में शुरू की गई प्रमुख सीएसआर परियोजनाएं:

सीआईएल और सहायक कंपनियां 30 अस्पतालों में 35,547 एलपीएम की कुल क्षमता के साथ 31 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर रही हैं। ये संयंत्र 5,159 बिस्तरों को ऑक्सीजन प्रदान कर सकते हैं। परियोजना की कुल लागत 46.24 करोड़ रुपये है।

1. 3.45 करोड़ रुपए की लागत से दुमका जिले, झारखण्ड के नवनिर्मित अस्पताल भवन में 200 बेड वाले समर्पित कोविड अस्पताल (डीसीएच) की स्थापना।
2. एमसीएल द्वारा कला, संस्कृति और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए माहिंगुला मंदिर, तलचर के पास नाट्य मंडप और अन्य संरचनाओं के लिए 9.32 करोड़ रुपये की लागत से धनराशि उपलब्ध कराना।
3. एनसीएल द्वारा कोविड रोगियों के उपचार के लिए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की दिशा में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार को 10 करोड़ रुपये की सहायता।
4. स्याहिमुडी, कोरबा जिला, छत्तीसगढ़ में कोविड केयर सेंटर को एसईसीएल द्वारा 1000 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल के रूप में कार्य करने के लिए 5 करोड़ रुपये की लागत से लैस करना।
5. सीसीएल द्वारा चतरा जिले, झारखण्ड के 30 स्कूलों में 1.03 करोड़ रुपये की लागत से डिजिटल कक्षाओं की स्थापना।
6. कोविड-19 राहत के लिए बीसीसीएल द्वारा जिला प्रशासन, धनबाद को 1.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।
7. सीआईएल द्वारा सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोलकाता में कैंसर के इलाज के लिए लीनियर एक्सेलेरेटर रेडियोथेरेपी यूनिट की खरीद हेतु 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।
8. सीआईएल द्वारा 5.04 करोड़ रु. की लागत से सरकारी मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल सिलचर, असम में 40 बिस्तरों वाले आईसीयू सुविधा की स्थापना।
9. 26 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के लिए राष्ट्रीय कैंसर संस्थान नागपुर के अस्पताल भवन की एक मंजिल के विकास में वित्तीय सहायता।
10. 1 करोड़ रु. के लिए जिला अस्पताल, सिमडेगा में सीटी स्कैन मशीन की स्थापना एवं केंद्रीकृत ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना।
11. 2 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के लिए आईआईटी बॉम्बे के माध्यम से सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के संचालन के क्षेत्रों में पायलट पैमाने पर नवीन ग्रामीण प्रौद्योगिकियों का प्रसार।

****